

सरकारी भवनों से अब सर्विस टैक्स

♦ होल्टिंग टैक्स का 75 फीसद करना होगा अदा



जागरण ब्यूरो, पटना : सरकार, सरकारी भवनों से होल्टिंग टैक्स वसूलेगी। फर्क इतना रहेगा कि इन भवनों पर कर की दर कम होगी और नाम भी होल्टिंग टैक्स के बदले सेवा शुल्क रहेगा, जो होल्टिंग टैक्स का 75 फीसद होगा। नगर विकास विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस वर्ष मई महीने में बिहार नगरपालिका संपत्तिकर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली को मंजूरी दी गई है। उसमें नियम 4 में कर की दर में वृद्धि सहित कई तरह के प्रावधान किए गए हैं।

नियमावली को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था मगर नियम 4 के बारे में यह निर्णय किया गया कि इसे लागू करने के संबंध में नगर विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। इधर सरकार से स्वीकृति के बाद नगर निकायों ने होल्टिंग टैक्स की दर में वृद्धि कर दी थी। मगर कुछ गंभीर शिकायतों के बाद सरकार ने बड़े दर पर वसूली को स्थगित कर दिया है।

संपत्ति खरीद या बिजली कनेक्शन की तारीख से होल्टिंग टैक्स

पटना : नए मकान, जमीन के होल्टिंग टैक्स के बारे में सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली के हवाले से कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट किया गया है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी निकायों को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

पहली बार कर निर्धारण : जिस संपत्ति का कर निर्धारण पहले कभी नहीं हुआ है उस पर संपत्ति कर यानी होल्टिंग टैक्स उसके दाखिलखारिज की तिथि या संपत्ति हस्तांतरण की तिथि या अर्जन की तिथि या बिजली कनेक्शन की तिथि में जो पहले होगा उस तिथि से कर लगाया जाएगा। यदि किसी संपत्ति के धारक द्वारा 1 अप्रैल के बाद संपत्ति अर्जित की जाती है तो उस पर पूर्ण महीनों की संख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से होल्टिंग टैक्स अदा करना होगा। यदि संपत्ति का अर्जन किसी वित्तीय वर्ष के अगस्त महीने में किया गया है तो 8 माह का टैक्स लगेगा।

विलंब पर दंड : संपत्ति कर का भुगतान 1 अप्रैल से देय है। 1 अप्रैल के बाद किया गया भुगतान अग्रिम भुगतान नहीं माना जाएगा। 30 सितंबर के बाद संपत्ति कर का भुगतान किए जाने पर अक्टूबर माह से 1.5 फीसद की दर से मासिक दंड लगेगा। मगर पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक के बकाया कर पर अप्रैल माह से 1.5 फीसद मासिक की दर से दंड लगेगा।